

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 860**  
**दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ**

.....

**भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान**

**860. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान के अंतर्गत अब तक आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब में इस योजना की देखरेख करने के लिए निर्दिष्ट राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान' के अंतर्गत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए नियोजित और पूर्ण की गई संरचनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और पंजाब में जिला-वार संख्या कितनी है और इनका प्रकार क्या है;
- (घ) देश में इन संरचनाओं की अनुमानित वर्षाजल दोहन-क्षमता राज्य-वार कितनी है; और
- (ङ) इन संरचनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क):** केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया है, जो एक व्यापक योजना है जिससे देश की विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के लिए विभिन्न भूजल पुनर्भरण अवसंरचनाओं को दर्शाती है। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 1.42 करोड़ ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना है, जिनसे लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा जल का उपयोग संभव हो सकेगा। इसमें भूजल संसाधनों की मौजूदा स्थिति, औसत वर्षा, चट्टान और मृदा संरचना आदि जैसी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल राज्य और क्षेत्र-विशिष्ट भूजल संरक्षण संबंधी कार्यकलापों की पहचान करना शामिल है।

इस योजना को सभी राज्य सरकारों के साथ साझा की गई है, ताकि मनरेगा, पीएमकेएसवाई और अन्य राज्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उचित क्षेत्रीय कार्यकलाप किया जा सके और इसलिए इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की गई है।

तथापि, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कई राज्यों में प्रत्यक्ष प्रयोजन से कई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। वारंगल,

वाईएसआर कडप्पा और उस्मानाबाद जैसे आकांक्षी जिलों में कुल 54.38 करोड़ रुपये की लागत से चेक डैम, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट आदि का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में 30 करोड़ रुपये की लागत से पुल-सह-भंडारा जैसी नवीन पुनर्भरण-सह-भंडारण अवसंरचनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा, राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 130 एनीकट, चेक डैम आदि का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अम्ब्रैला अभियान के तहत, वर्ष 2021-2025 की अवधि के दौरान, मनरेगा के साथ समन्वय करके देश भर में 1.18 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.14 करोड़ कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है।

**(ख):** राज्य सरकारें अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करती रही हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए किसी नोडल एजेंसी का होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित निर्माण संरचनाओं को कई मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत समन्वित किया जाना है। पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग को राज्य में चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

**(ग):** पंजाब सहित देश में, 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान' के तहत अनुशंसित कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय के प्रोत्साहन के आधार पर, पंजाब सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। तथापि, चूंकि मास्टर प्लान केवल संस्तुतिपरक प्रकृति का है, इसलिए क्षेत्र में संरचनाओं का वास्तविक निर्माण स्थान, आकार, प्रकार आदि के संदर्भ में भिन्न हो सकता है जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उचित समझा जाए। प्राप्त सूचना के अनुसार, जल संसाधन विभाग, पंजाब द्वारा पंजाब के सभी जिलों में 236 इंजेक्शन कुओं, 425 चेक डैम, 2556 सोक पीट, 123 नए तालाब और 5 खंबाती कुओं का निर्माण किया है, जिनमें से अधिकांश मास्टर प्लान के अनुसार हैं।

**(घ):** भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान के अनुसार, यह अनुमान है कि देश भर में लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तावित अवसंरचनाओं के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित वर्षा जल संचयन क्षमता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

**(ङ):** निर्मित अवसंरचनाओं का संचालन और रखरखाव संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी संरचनाओं की समय-समय पर उचित सफाई, रखरखाव और मरम्मत की जाए।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1

"भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 860 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान-2020 के तहत राज्य वार कृत्रिम पुनर्भरण अव-संरचनाओं की संख्या और प्रकार

| क्र.सं. | राज्य            | सीडी  | आरएस  | आरटीआर<br>डब्ल्यूएच | पीटी  | गैबियन | डीएस  | इंजेक्शन<br>कुएं | एसएसडी | एसएस देव /<br>डब्ल्यूएस देव | अन्य   | कुल         |
|---------|------------------|-------|-------|---------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------|
| 1       | आंध्र प्रदेश     | 13143 | 26209 | 263694              | 13085 | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 0      | 316131      |
| 2       | बिहार            | 122   | 5682  | 50000               | 428   | 0      | 12679 | 13811            | 0      | 0                           | 8415   | 91137       |
| 3       | छत्तीसगढ़        | 0     | 25687 | 118339              | 3426  | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 30989  | 178441      |
| 4       | दिल्ली           | 12    | 22706 | 304500              | 0     | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 0      | 327218      |
| 5       | गोवा             | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 931    | 931         |
| 6       | गुजरात           | 3985  | 8607  | 1320947             | 701   | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 2072   | 133631<br>2 |
| 7       | हरियाणा          | 335   | 44392 | 304377              | 0     | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 393811 | 742915      |
| 8       | हिमाचल प्रदेश    | 2290  | 556   | 1050                | 0     | 108118 | 851   | 133              | 460    | 0                           | 784    | 114242      |
| 9       | झारखंड           | 36062 | 1268  | 521692              | 5173  | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 27455  | 591650      |
| 10      | कर्नाटक          | 50527 | 436   | 0                   | 9918  | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 344    | 61225       |
| 11      | केरल             | 1260  | 0     | 482788              | 1395  | 196116 | 0     | 5                | 121    | 0                           | 67943  | 749628      |
| 12      | मध्य प्रदेश      | 76002 | 76002 | 408938              | 12309 | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 152085 | 725336      |
| 13      | महाराष्ट्र       | 19243 | 838   | 5646772             | 7188  | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 8995   | 568303<br>6 |
| 14      | पूर्वोत्तर राज्य | 18821 | 0     | 15700               | 0     | 18835  | 0     | 0                | 0      | 11531                       | 473149 | 538036      |
| 15      | ओडिशा            | 1292  | 550   | 15700               | 1111  | 0      | 0     | 0                | 1051   | 0                           | 2782   | 22486       |
| 16      | पंजाब            | 85    | 79839 | 551308              | 0     | 0      | 0     | 13410            | 0      | 0                           | 455920 | 110056<br>2 |
| 17      | राजस्थान         | 32744 | 231   | 0                   | 63158 | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 674067 | 770200      |
| 18      | सिक्किम          | 380   | 0     | 1500                | 0     | 450    | 0     | 0                | 125    | 540                         | 340    | 3335        |
| 19      | तमिलनाडु         | 7180  | 70460 | 0                   | 2397  | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 7685   | 87722       |
| 20      | तेलंगाना         | 11552 | 22188 | 555093              | 10636 | 0      | 0     | 0                | 0      | 0                           | 0      | 599469      |

| क्र.सं. | राज्य   | सीडी          | आरएस               | आरटीआर<br>डब्ल्यूएच | पीटी          | गैबियन        | डीएस         | इंजेक्शन<br>कुएं | एसएसडी      | एसएस देव /<br>डब्ल्यूएस देव | अन्य           | कुल                  |
|---------|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 21      | उत्तर प्रदेश                                      | 5582          | 5582               | 0                   | 493           | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 12011          | 23668                |
| 22      | उत्तराखंड   | 2870          | 0                  | 5543                | 810           | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 6300           | 15523                |
| 23      | पश्चिम बंगाल                                      | 453           | 0                  | 6740                | 8551          | 1136          | 0            | 8403             | 568         | 0                           | 16914          | 42765                |
| 24      | संघ राज्य क्षेत्र-लक्षद्वीप                       | 0             | 0                  | 9597                | 0             | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 0              | 9597                 |
| 25      | संघ राज्य क्षेत्र-पुडुचेरी                        | 71            | 283                | 0                   | 14            | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 203            | 571                  |
| 26      | संघ राज्य क्षेत्र- दादरा<br>और नगर हवेली          | 49            | 0                  | 12109               | 17            | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 30             | 12205                |
| 27      | संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़                         | 0             | 10300              | 0                   | 0             | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 0              | 10300                |
| 28      | संघ राज्य क्षेत्र-जम्मू और<br>कश्मीर              | 0             | 0                  | 1150                | 0             | 245           | 0            | 0                | 0           | 230                         | 560            | 2185                 |
| 29      | संघ राज्य क्षेत्र-लद्दाख                          | 0             | 0                  | 0                   | 0             | 46            | 0            | 0                | 0           | 15                          | 231            | 292                  |
| 30      | संघ राज्य क्षेत्र-अंडमान<br>और निकोबार द्वीप समूह | 350           | 0                  | 2250                | 1000          | 150           | 0            | 0                | 100         | 170                         | 0              | 4020                 |
| 31      | संघ राज्य क्षेत्र-दीव और<br>दमन                   | 0             | 0                  | 14006               | 0             | 0             | 0            | 0                | 0           | 0                           | 0              | 14006                |
|         | <b>कुल</b>  | <b>284410</b> | <b>40181<br/>6</b> | <b>10613793</b>     | <b>141810</b> | <b>325096</b> | <b>13530</b> | <b>35762</b>     | <b>2425</b> | <b>12486</b>                | <b>2344016</b> | <b>141751<br/>44</b> |

नोट - सीडी - चेक डैम, आरएस - रिचार्ज शाफ्ट, आरटीआरडब्ल्यूएच - रूफ टॉप वर्षा जल संचयन, पीटी = पकोलेशन टैंक, डीएस - डीसिल्टिंग, एसएसडी - सब-सर्पेस डाइक, एसएस देव/डब्ल्यूएस देव - स्प्रिंगशेड विकास/वाटरशेड विकास गतिविधियां, अन्य - अन्य अवसंरचनाएं

"भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टरप्लान" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 860 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

**कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 के लिए कृत्रिम पुनर्भरण की संभावनाएं**

| क्र.सं. | राज्य   | अनुमानित वर्षा जल उपयोग क्षमता<br>(एमसीएम) |
|---------|---|--|
| 1       | आंध्र प्रदेश                                      | 1246.95                                    |
| 2       | बिहार   | 66352.03                                   |
| 3       | छत्तीसगढ़   | 8609.63                                    |
| 4       | दिल्ली  | 94.62                                      |
| 5       | गोवा  | 393.16                                     |
| 6       | गुजरात  | 4459.26                                    |
| 7       | हरियाणा   | 679.26                                     |
| 8       | झारखंड  | 4898.06                                    |
| 9       | कर्नाटक   | 12874.17                                   |
| 10      | केरल  | 12455.00                                   |
| 11      | मध्य प्रदेश                                       | 9188.29                                    |
| 12      | महाराष्ट्र  | 3871.98                                    |
| 13      | ओडिशा   | 1786.49                                    |
| 14      | <b>पंजाब</b>                                      | <b>1200.99</b>                             |
| 15      | राजस्थान  | 5305.00                                    |
| 16      | सिक्किम   | 332.41                                     |
| 17      | तमिलनाडु  | 959.33                                     |
| 18      | तेलंगाना  | 1186.47                                    |
| 19      | उत्तर प्रदेश                                      | 2743.00                                    |
| 20      | उत्तराखंड   | 33449.00                                   |
| 21      | पश्चिम बंगाल                                      | 8532.86                                    |
| 22      | संघ राज्य क्षेत्र-पुडुचेरी                        | 32.05                                      |
| 23      | संघ राज्य क्षेत्र- दादरा और<br>नगर हवेली          | 6.50                                       |
| 24      | संघ राज्य क्षेत्र-अंडमान<br>और निकोबार द्वीप समूह | 4436.05                                    |
|         | कुल   | 185092.56                                  |

नोट: उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए अनुमानों की उपलब्धता नहीं है क्योंकि जटिल जलभूगर्भीय परिस्थितियों के कारण सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

\*\*\*\*\*